छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ–3–2/2002/1/3 रायपुर, दिनांक 15 जून, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल छ.ग.,बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़.

विषयः– राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर भरती की आयु सीमा में विशेष छूट के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16/9/2008

– – 0 – –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष निर्धारित की गई है ।

2/ विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा सकी थी । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, एवं लोक सेवा आयोग की वर्ष 2008–2009 तथा 2009–2010 में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 मे 02 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई थी, जो दिनांक 31.03.2010 को समाप्त हो गई है। यह छूट अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के अतिरिक्त थी।

3/ वर्तमान में, राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए 35 वर्ष रहेगी।

4/ उपरोक्त प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नहीं रहेंगे । गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भरती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भरती

14/6/10

नियमों में, जो आयु सीमा संबंधी व्यवस्था निर्धारित/प्रावधानित है, उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भरती के लिए लागू रहेगी ।

5/ अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट हैं, वह छूट लागू रहेगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

6/ अधिकतम आयु सीमा से संबंधित उपरोक्त प्रावधान् तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एल.डी.चोपड़े) 14/6/10
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ–3–2/2002/1/3 रायपुर, दिनांक 15 जून, 2010

<u>प्रतिलिपिः–</u>

01. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जीरो पाईंट, रायपुर,
03. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
05. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
06. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग, रायपुर,
07. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/ राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर,
08. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
09. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
10. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर,
11. मुख्य निर्वाचान पदाधिकारी, रायपुर,
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
14. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़,
15. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
16. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सा.प्र.वि. को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 01 प्रति सहित प्रेषित,

17. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, समस्त कक्ष मंत्रालय, रायपुर,
18. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष–6 मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाईट पर इन्द्राज हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 14/6/10
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग